भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3741
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- बागवानी फसलों के लिए फसल बीमा और केसीसी ऋण

3741. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बागवानी फसलों के लिए फसल बीमा के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर देय अधिकतम दावा राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश और मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत कितने बागवानी किसान लाभान्वित हो रहे हैं;
(ग) क्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से खेती करने वाले किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर ऋण सीमा निर्धारित की गई है; और
(घ) यदि वर्तमान बागवानी में फसल उत्पादक किसानों को फसल बीमा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए सरकार की कार्य योजना और समय-सीमा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): बीमित राशि का निर्धारण राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा घोषित वित्तमान (SoF) या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा चयनित बागवानी फसलों सहित सभी फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर औसत उपज के अनुमानित मूल्य (Notional Value) के आधार पर किया जाता है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के तहत प्रति हेक्टेयर देय अधिकतम दावा राशि है।

(ख): खरीफ 2016 में RWBCIS की शुरुआत से अब तक देश में बागवानी फसलों की खेती करने वाले कुल 213.19 लाख किसान आवेदन नामांकित किए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इन योजनाओं के अंतर्गत बागवानी फसलों को अधिसूचित नहीं किया है।

(ग): किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत फसल ऋण देने हेतु बागवानी फसलों सहित सभी फसलों के लिए वित्त मान संबंधित राज्य के प्रत्येक जिले के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) द्वारा घोषित किया जाता है।

(घ): बागवानी फसल उत्पादक किसान सरकार द्वारा कार्यान्वित फसल बीमा योजनाओं, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के अंतर्गत कवर किए जाते हैं बशर्ते कि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा फसल और क्षेत्र की अधिसूचना जारी की गई हो।
